

भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु
जनपद-शाहजहाँपुर में
गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 31.12.2022
को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

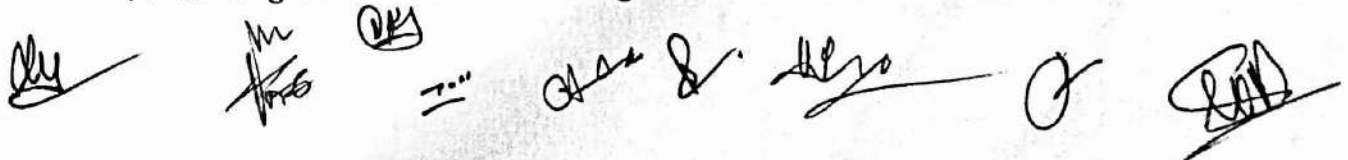
प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0-अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 31.12.2022 को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा प्रेषित 35 नग डी0पी0आर0 (51 ग्राम पंचायत, 99 राजस्व ग्राम) को विचारोपरान्त SWSM को प्रेषित किया जाना है।

1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
2	मुख्या विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	सदस्य
5	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
7	अधिकासी अभियंता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिकासी अभियंता, ग्राउंड वाटर शाहजहाँपुर	सदस्य
9	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	अधिकासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
12	अधिकासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

1. जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतों (2033 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशों के अनुपालन में प्राक्कलन विरचित किये गए हैं, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहाँपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गयी कार्यों की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी हैं। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।

2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 565 नग डी0पी0आर0 (683 ग्राम पंचायत, 1302 राजस्व ग्राम) अधिकासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 499 नग डी0पी0आर0 (591 ग्राम पंचायत, 1134 राजस्व ग्राम) नग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी क्रम में आज बैठक में पुनः 35 नग डी0पी0आर0 (51 ग्राम पंचायत, 99 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 35 नग डी0पी0आर0 (51 ग्राम पंचायत, 99 राजस्व ग्राम) का तकनीकी परीक्षण किया गया एवं यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये



गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् है:-

1. योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रु से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत में अंकित औसत से स्पष्ट है।
2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रु 7000 से अधिक है, उन योजनाओं का स्थानीय परीक्षण करा लिया गया है एवं समस्त प्रस्ताव का मूल्यांकन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन में हैड अधिकतम 50 मी० के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परीक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी०वी० माड्यूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन योजनाओं में रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एवं आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली में सैंड बेडिंग का प्रविधान नहीं किया गया है।
9. जलकल परिसर में सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नहीं है। जिस ग्राम पंचायत में जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है एवं मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एवं इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी०पी०आर० प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नहीं किया गया है।
11. योजनाओं की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमें किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नहीं हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओं की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी०पी०आई० द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नहीं किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओं में प्रस्ताव का परीक्षण मौके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एवं इन कार्यों के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उद्देश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

उक्त क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल अपूर्ति हेतु 35 नग डी०पी०आर० जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

उक्त के क्रम में बैठक में अन्य निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये-

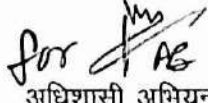
1. मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया है कि जो भी विलय (Merged) डी०पी०आर० बनायी जा रही है एवं डी०पी०आर० की लागत 5.00 करोड़ से अधिक होने की स्थिति में उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा मै०एन०सी०सी० को गृह जल सयोजन की प्रगति बढ़ाने तथा अवशेष डी०पी०आर० शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।



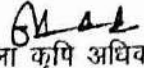
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एन0सी0सी0 को कार्यो की प्रगति बढ़ाने हेतु स्टाफ, श्रमिको की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किये गया।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 35 नग डी0पी0आर0 उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

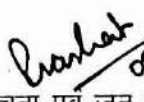

अधिशाली अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)


अधिशाली अभियन्ता
(वि0/या0)
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य


अधिशाली अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


अधिशाली अभियन्ता
वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य


जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


प्रभागीय बनाविकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य


जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।